Report of Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

PROF. N. M. KAMBLE (Maharashtra) : Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of Fifty-second Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Home Affairs—Reservations for, and employment of, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Delhi Administration.

MOTION FOR ELECTION TO ANIMAL WELFARE BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHIB P. SHINDE) : Sir, with your premission, I beg to move the following Motion :

That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) of section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), this House do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Animal Welfare Board in the vacancy caused by the retirement of Shrimati Kumudben Manishanker Joshi from the membership of the Rajya Sabha on the 2nd April, 1976.

The question was put and the motion was adopted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

I. The Braithwaite and Company (India) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1976.

II. The Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Nationalisation) Bill, 1976.

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :—

I

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Braithwaite and Company (India) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1976, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 24th August, 1976."

II

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Nationalisation) Bill, 1976, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 24th August, 1976."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

THE APPROPRIATION (NO. 5) BILL 1976

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : Sir, I beg to move :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1976-77, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this Bill arises out of supplementary demands for grants of Rs. 237.66 crores voted by the Lok Sabha on the 20th August, 1976, and an expenditure of Rs. 6.52 crores charged on the Consolidated Fund of India. Taking the related receipts and recoveries into account, these additional demands involve a net outgo of Rs. 132.96 crores from the Consolidated Fund of India.

The net outgo of Rs. 132.96 crores mainly comprises Rs. 60 crores on account of subsidies to phosphatic fertiliser manu-

facturers to offset the reduction in phosphatic fertiliser prices; payment of Rs. 39.18 crores for taking over of 103 sick textile mills under the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974; Rs. 7.29 crores for acquisition of shares of the Indian Iron and Steel Company under the Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Ordinance, 1976. And payment to Metal Corporation for deprivation of management of its undertaking and acquisition of the undertaking under the Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 1976 : Rs. 3.21 crores. Step-up in Plan outlay and family planning programmes consequent on increased payments for sterilisation and higher rate of compensation and for handloom development schemes amounts to Rs. 5 crores and Rs. 4.45 crores respectively. The introductory remarks appended to the Supplementary Demands pamphlet explain briefly these items as also other items amounting to Rs. 111.22 crores which are either covered by related receipts/recoveries or are offset by savings in sanctioned grants.

I would not burden the House with further details, but would answer any points that may be raised by the hon. Members during the discussion.

The question was proposed.

Mr Deputy Chairman in the Chair]

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : अध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक जो पेश किया गया है उस पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि 1976-77 का जो बजट पेश किया गया था उसके बाद जो देश मे आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी समीक्षा करते हुए हम सरकार की आर्थिक नीतियों पर विचार करें । क्योंकि जब बजट पेश किया जा रहा था उसी वक्त से देश में चीजों के दाम, खासतौर से जीवनोपयोगी चीजों के दाम बढ़ना शुरू हो गये और 30 मार्च से लेकर 26 जून के बीच तमाम चीजों के दाम 6.8 प्रतिशत बढ़ गये और यह कब, जब कि पिछले वर्ष 1975-76 में देश में काफी अनाज पैदा हुआ था । देश में उस बीच 11 करोड़ 80 लाख टन अनाज पैदा हुआ, और उद्योगों में भी उत्पादन 5.7 प्रतिशत बढ़ा और इस तरह हम देखते हैं कि हमारे देश में जीवनोपयोगी चीजों की कोई कमी नही थी पिछले वर्ष की तुलना में, लेकिन तब भी दामों का बढ़ना शुरू हुआ और खास तौर से उस समय जब कि पिछले बजट में देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों को काफी रियायतें दी गयी थी और उनसे उम्मीद की गयी थी कि वह देश में मंहगाई को नही बढ़ने देंगे और इसके साथ-साथ जो रियायतें दी गयी हैं उनके कारण जो मुनाफा होगा उसको देश के विकास में और निजी क्षेत्र के उद्योगो के आधुनिकीकरण मे लगायेंगे और देश की पैदावार को बढ़ाने मे लगायेंगे । लेकिन यह दोनों उम्मीदे जो सरकार ने उनसे की थी रियायतें देते समय वह पूरी नही हुई और उसके खिलाफ देश के पूंजीपतियो ने आचरण किया और जिसकी वजह से जरूरत की चीजों के दाम बढ़े । दाम बढ़े । इस लिये नही कि मौनसून कुछ लेट आया । डालडा और तमाम दूसरी चीजो के दामो मे बढ़ती हुई जो कि जिन्दगी के लिये जरूरत की चीजे हैं । सरकार ने इन चीजों के लिये जो वितरण प्रणाली बनायी है उसके बाजजूद देश में जो पैदावार होती है उसका वितरण मुख्य रूप से पूंजीपतियो के हाथो मे ही है, निजी क्षेत्र में है जबकि देश मे उत्पादन श्रमिको द्वारा किसानो और मजदूरो द्वारा किया जाता है । पूंजीपति उस उत्पादन के मालिक बन जाते हैं और उसका वितरण प्राइवेट तरीके से लोगों के बीच करते हैं इसलिये वह सक्षम होते हैं और जब चाहते हैं अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिये चीजों के दाम के संतुलन को बिगाड़ते रहते है । कभी दाम कम कर देते है तो कभी दाम बढ़ा देते हैं । और यही हुआ । जब फसल पैदा हुई तो किसानों की फसल का दाम गिरा दिया गया और जब बड़े व्यापरियों के और पूंजीपतियो के गोदामो मे वह फसल पहुंच गयी तो चाहे वह अनाज हो या आलू हो, हर चीज का दाम उस वक्त के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया । इसी तरह से कारखानो मे बनी हुई चीजो का दाम भी कम नही किया गया और अब सरकार द्वारा उन चीजों का दाम कम करने के लिए जो कदम उठाये जा रहे है उनका समर्थन पूजीपतियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि टाटा, बिरला आदि का जो सगठन है और एफ०आई०सी०सी०आई० के

जरिये निर्लज्जता से मांग की जा रही है कि सरकार दामों को कम करने की पालिसी को छोड़ दे और दाम जो बढ़ चुके हैं उनको इस्टैबलाइज करे क्योंकि उनकी थ्यौरी है कि चीजों का दाम कम करने से या मुद्रा स्फीति पर कोई रोक लगाने से देश का विकास रुकेगा। यह पूंजीपतियों की थ्यौरी है और इसको आज वह बड़ी हिम्मत के साथ प्रतिपादित कर रहे है। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उसने पूंजीपतियों को जो रियायतें दी है उनका यह नतीजा है कि वह सरकार पर और ज्यादा रियायतें पाने के लिये दबाव डाल रहे हैं और सरकार की नीतियों को उलटने के लिये जनता के खिलाफ मजदूरों के और किसानों के खिलाफ सरकार को प्रेरित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों मे पूंजीपतियों ने जो मुनाफा कमाया है रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने उसकी जांच की है और पिछले बजट मे भी जो उम्मीद थी कि वे इस मुनाफे को देश के विकास मे और उद्योगों में लगायेंगे वह उम्मीद पूरी नही हो रही है। वह रकम देश के विकास में और उद्योगों के आधुनिकीकरण मे नहीं लगायी जा रही है बल्कि मुनाफाखोरी के लिये उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिये मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अपनी नीतियों पर फिर से विचार करने को तैयार है। मेरा यह तकाजा है कि वह अपनी नीतियों पर फिर से विचार करे और पूंजीपतियों को रियायतें देने के बजाय उन पर वह अपना नियंत्रण और मजबूत करे और खास तौर से जीवनोपयोगी जो चीजें हैं उनका थोक व्यापार उनके हाथ से लेकर पार्शियल तौर से नही, पूरे तौर मे सरकार उसे अपने हाथ में ले तभी जो पब्लिक वितरण प्रणाली है वह ज्यादा सक्षम हो सकती है और तभी देश की जनता को इस मुसीबत मे छुटकारा मिल सकता है और हम अपने लक्ष्य की ओर कुछ अधिक तेजी मे आगे बढ़ सकते हैं।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत देश को जो आगे ले जाने की योजना पेश की गयी उस पर भी अमल बहुत धीमी गति से, रुक-रुक कर हो रहा है और जो लक्ष्य रखा गया था खासतौर से जून 1976 तक, उस समय तक की जो उपलब्धियां हैं उनको देखते हुए यही बात सामने आती है कि उस पर अमल बहुत मुस्तैदी से नही हो रहा है। उदाहरण के लिये खेत मजदूर जो देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित है और देश में मेहनत करके धन पैदा करने वाला वर्ग है उसको रियायत देने के लिए, उसे उठाने के लिये जो 20 सूत्री कार्यक्रम में व्यवस्था की गई है, आज उस पर अमल नहीं हो रहा है। खास तौर से खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए जो सरकार ने एक नीति निर्धारित की और बहुत से राज्यों में 1974 में खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण करके उसको निर्धारित किया गया था, लेकिन वह भी अमल में नहीं आ रहा है। जिन राज्यों ने 1976 में पुनरीक्षण किया और खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय की, वहां भी अमल में वह नहीं आ रहा है और आज देखा यह जा रहा है, अखबारों में आये दिन ये समाचार मिल रहे हैं कि जहां खेत मजदूर न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं, बजाय उनको न्यूनतम मजदूरी देने के, उनको काम से निकाल दिया जाता है, उनके खिलाफ बायकाट किया जाता है, उनको घरों से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर हथियार बन्द हमले होते हैं। बिहार में तो इन खेत मजदूरों पर पिछले दो तीन महीनों में एक दर्जन से भी ज्यादा हमले हुए हैं....

श्री जगन्नाथ मारद्वाज : आपकी पार्टी को इनके खिलाफ धरना लगाना चाहिए।

श्री भोला प्रसाद : वह हमले भू-स्वामियों के ज्यादातर हुए हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, यू० पी० और दूसरे राज्यों से भी अखबारों में आये दिन खबरें मिलती हैं कि खेत मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। आज 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिये उनको उठाया जाए, उनकी मजदूरी को सुधारा जाए, इसके बजाय वह भू-स्वामियों, महाजनों के शिकार हो रहे हैं। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को तय किया लेकिन ऐसी कोई मशीनरी नहीं बनाई जिससे कि जो भी मजदूरी तय की गई उसको वह खेत मजदूरों को दिलाने की व्यवस्था करे और नतीजा यह है कि उनको भू-स्वामियों और महाजनों के ऊपर छोड़ दिया गया है।

उसी तरह से कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के निर्देशानुसार बहुत से राज्यो मे कानून भी बनाये गये कि जो भूमिहीन हैं, कमजोर वर्ग के हैं, उनके ऊपर जो महाजनी कर्जा है वह माफ हो। लेकिन उस पर भी अमल नही हो रहा है। आज उस वर्ग की मुक्ति के लिए भी जहा खेत मजदूर आवाज उठा रहे हैं उनको इन महाजनों के हमले का शिकार होना पड़ रहा है इसलिए कि सरकार की ओर से इन भूमिहीनों और खेत मजदूरों को कर्ज देने के लिए कोई आल्टरनेट व्यवस्था अभी तक नही की गई है और जब तक खेत मजदूरो को गांव-गांव मे स्पेशल कोआपरेटिव बैंक कायम करके खेत मजदूरो, गरीब किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था नही की जाती है तब तक यह कानून बन जाने से और सरकार के निर्देश के बावजूद वह भूमिहीनों को और गरीब किसानों को कर्ज के शोषण से छुटकारा नही मिल सकता है और उसके बन्धन से वह छूट नही सकते हैं। एक तरफ उन पर हमले हो रहे है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल बजाय खेत मजदूरों और भूमिहीन गरीबों को संरक्षण देने के लिए किया जाए, ज्यादातर मामलों मे, ज्यादातर मे जान-बूझकर कह रहा है—कुछ जगहें ऐसी जरूर हैं जहां पर ये अफसर खेत मजदूरो, गरीब किसानों और भूमिहीनो को साथ लेते हैं और 20 सूत्री कार्यक्रम पर अमल करने के लिए ईमानदारी से कुछ काम करते है— लेकिन ज्यादातर ऐसे है जो कि भू-स्वामियो का साथ देते हैं। हमारा कहना है कि उन भू-स्वामियो के खिलाफ डी०आई०आर० का इस्तेमाल किया जाना चाहिये, असामाजिक तत्वों के लिए जो क्रिमीनल कानून बने हुए हैं वे उनके खिलाफ इस्तेमाल किये जाने चाहिए। आज हम देखते है कि खेतिहर मजदूर, भूमिहीन और गरीब किसान जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल मे लाना चाहते हैं, जोकि न्यूनतम मजदूरी की माग करते हैं, जो कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, जो भूमि सुधार को लागू करना चाहते हैं, आज उनके खिलाफ पुलिस, जो क्रिमीनल कानून हैं उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रही है, उनके खिलाफ डी०आई०आर० इस्तेमाल हो रहा है। आज जमीदारो और भू-स्वामियों को बंदूकें बांटी जा रही हैं उन पर गोलिया चलाने के लिये। जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तब यह सोचने की जरूरत है कि यह 20 सूत्री कार्यक्रम हमने जिसके लिये बनाया है अर्थात् पीड़ित और शोषित लोगों के लिये, उन पर अमल हो रहा है या नहीं और जिस गति से अमल होना चाहिये उस गति से अमल हो रहा है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिये प्रतिबद्ध हैं, जो ईमानदारी से मुस्तैदी से इसको लागू करना चाहते हैं उनको लेकर गांवों में जो कमेटियां बनाई जानी चाहिए थी वह नहीं बनाई जा रही हैं। इस बारे में पार्टीबाजी हो रही है या जो प्रसासक है उनके ऊपर भरोसा किया जा रहा है। इससे जाहिर है कि ज्यादातर जगहो में ये चीजे चल रही है और इसी वजह से इस कार्यक्रम को अमल में लाने में दिक्कत पैदा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हदबन्दी कानून में सुधार कर जमीन निकालने के बारे मे पहले भी कानून बना था और उसके बाद सरकार ने एक नई गाईड लाईन के बारे मे भी निर्देश दिया और उसके मुताबिक 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिये काफी जोर दिया लेकिन इसके बाद भी जून 1976 तक, जो लक्ष्य रखा गया, कि, 40 लाख एकड़ जमीन निकालकर हम बाटेंगे या जो भी लक्ष रखा गया उससे भी कम जमीन बांटी गई है। मुश्किल से सारे देश में 8 लाख एकड़ जमीन बांटी गई है। जो बड़े-बड़े भूस्वामी हैं उनसे जमीन निकालने के लिये जितनी मुस्तैदी से और सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए और इससे जो गरीब किसान भूमिहीन और ऐसे लोगों का संगठन जो इसको करने मे दिलचस्पी रखते हैं उनका सहयोग लेना चाहिए वह नही हो रहा है। यही कारण है कि इस पर बहुत कम अमल हो रहा है। जो भी जमीन बाटी जा रही है या बाटी गई है चाहे वह हदबन्दी से फाजिल जमीन हो या सरकारी जमीन हो उस पर भूमिहीनो का कब्जा अभी तक नहीं हुआ है, केवल कागज पर ही जमीन बांटी जा रही है। जमीन का अधिकार लेने के लिये जब वह जाता है, तो उसको भूस्वामियो के हमले का शिकार होना पड़ता है। हमारा कहना है कि उनको कब्जा दिलाने के लिये जो व्यवस्था मुस्तैदी से होनी चाहिये वह प्रशासन की ओर से नही हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले महीनों में देश में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने जो आर्थिक लक्ष रखा, देश में मंहगाई को कम करने के लिए और जनता को जरूरी चीजें उचित दाम पर मिलें इसके लिये जो लक्ष्य रखा है और दूसरी तरफ 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए जो लक्ष है वह पूरा हो इसके लिये जरूरी है कि सरकार खुद अपनी नीतियो पर फिर से विचार करे और इस पर अमल करने के लिये जो तरीके हैं उन पर भी मुस्तैदी से विचार करे।

श्री सिकन्दर अली वज्द (महाराष्ट्र) : आली जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं अभी-अभी महाराष्ट्र का, खासतौर से मराठवाड़ा इलाके का कोई महीने भर का दौरा करके आ रहा हू । वहां मैंने यह महसूस किया और देखा अपनी आखों से कि यह जो 20-सूत्री प्रोग्राम है उसकी बहुत ही मेहनत से तकमील हो रही है । जहां जमीन बांटी गयी, जिन लोगों को कब्जा मिला हमने वहां देखा कि उनको कब्जा मिल गया है, उनको जमीन मिल गयी है, उनको काम मिल गया है ।

अभी पुलिस की बात हो रही थी । मुझे भी पुलिस के बारे में कोई ज्यादा खुशफहमी नहीं है । 27 बरस तक मेरा पुलिस से ताल्लुक रहा है, इसलिए कि मैं जज था । लेकिन मैंने यह भी देखा कि औरंगाबाद में 150 एकड़ जमीन पर 40 ट्रैक्टर पुलिस वालों ने वहां पहुंचाये, जमीन की काश्त की, लोगों को जमीन बांटी और फैसला किया कि हम फसल कटने तक उनकी मदद करेंगे ।

श्री देवराव पाटिल : कुएं भी खोदे हैं।

श्री सिकन्दर अली वज्द : यह तो बड़ी पुरानी बात है कि जो कुआं दूसरों के लिए खोदता है तो कुआं उसी के सामने आता है ।

खैर, मैं ट्रैक्टरों की बात कर रहा था यह एक नेक बात है लोग पूछते हैं कि भाई, क्या इस 20-सूत्री प्रोग्राम से इन्कलाब आ रहा है, क्रान्ति आ रही है ? मेरा जवाब है कि इस प्रोग्राम से इन्कलाब और क्रान्ति आ गयी है । इस प्रोग्राम से पहले मैंने पुलिस वालों को जिनमें आई० जी० और डी० आई० जी० शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हुए नहीं देखा था । लेकिन इस मर्तबा वहां बहुत कुछ काम हो रहा है, यह तो मानना ही पड़ेगा ।

औरंगाबाद एक पिछड़ा हुआ इलाका करार दिया गया है । सेंटर से उसको कोई 12 करोड़ रुपये मिले। अब मैं कहना चाहता हूं कि डा० रफीक जकारिया जी ने वहां बहुत अच्छा काम किया है । अब औरंगाबाद एक बाग-ओ-बहार जगह हो गयी है। वहां जो नये कारखानों की हालत है उसे देखकर मैं हैरान रह गया कि किस तरह उनकी अच्छी प्लानिंग की गयी है । मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूं लेकिन मै अब तक वहां तक नहीं गया था वहां जिस तरह सामान की पैदावार हो रही है उसे देखकर मैं हैरान रह गया । अब काम करने वालों के नाम लेने पड़ेंगे और जिन्होंने काम नहीं किया है उनके नाम भी लेने पड़ेंगे । मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कैसा काम किया है । मैं तो हैरान रह गया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि वहां के कुछ नौजवान जो रूस के तालीम याफ्ता और जर्मनी के ट्रेन्ड हैं, उन्होंने छोटे-छोटे कारखाने लगाये हैं वह वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मिसेज रोहतगी से यह कहना है कि वहां जो सब्सीडी दी गयी थी वह इमरजैंसी की वजह से रोक दी गयी है । फिर उनको सैल्स टैक्स देना पड़ता है । और उन्होंने जो रुपया बैंक से लिया है उसका सूद देना पड़ता है। इसमें उनका सब पैसा चला जाता है । उन लड़कों ने मुझ से यह बात कही कि हमारी यह बात आप फाइनेन्स मिनिस्टर से कहिए या फिर वहां संजय गांधी से कहिये । मेरा संजय गांधी से ताल्लुक ऐसा बहुत करीब से नहीं है लेकिन फाइनेन्स मिनिस्टर से कहता हूं कि लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं उन्हें सब्सीडी आप दें और उनके प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद दें । वह बहुत ही हिम्मत और मेहनत से काम कर रहे हैं ।

वहां बहुत ही खूबसूरत रेडियो स्टेशन बन गया है । इसकी भी मुझे खुशी है और इसके लिये मैं हुकूमत को मुबारक-बाद देता हूं । मैं पिछले तीन-चार सालों से इस बात के लिये इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर से लड़ाई लड़ रहा था । यह काम सिर्फ मेरी लड़ाई से नहीं हुआ, यह तो सरकार का प्रोग्राम था इसलिये बना और बहुत खूबसूरत बना ।

मुझे एक बात यह भी कहनी है कि मराठवाड़ा के इलाके के लोगों की, जैसी जुबान मराठी है वैसी उर्दू भी है । हमारे साथी वैशपायन और महेसकर यहां बैठे हैं । ये जैसी उर्दू बोलते है, जैसी उर्दू

लिखते हैं वैसी शायद यहां भी नही बोली जाती और न लिखी जाती है। वहां उर्दू बोलने वालों का ऐसा एक बड़ा हिस्सा है । इसलिए मुझे यह कहना है कि उर्दू को भी वहा पूरा हिस्सा दिया जाय और इसको ब्राडकास्टिंग में, और नश्रयात में पूरा हिस्सा मिले ।

एक बात मुझे और कहनी है । यहां रेलवे मिनिस्टर साहब नहीं है। वह चले गये। मराठवाडा मनमाड से नान्देड तक जो लाइन नैरो गेज से ब्राड गेज मे होने वाली थी उसका क्या हुआ ? उसका इसलिए मै जिक्र कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने 3 जगह इस बात का ऐलान किया कि ब्राड गेज मनमाड से नान्देड तक कायम होगी । अब हमसे लोग पूछते है और यह कहते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहिबा की बात जो सब के सामने हुई, ब्राडकास्ट हुई, उस पर अमल नहीं हो रहा है तो आपकी बहुत सी बातें हैं, उस पर हम कैसे यक़ीन करे? हम यह चाहते हैं कि मिसेज रोहतगी रेलवे मिनिस्टर तक यह बात पहुचा दें कि वहां प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर लोग हमसे कहते है कि जब उनकी बात का कुछ नहीं हो रहा है तो आपकी बात का कितना हम यक़ीन करें । मै चाहता हूं कि इस काम का आगाज कम से कम हो जाए, कम से कम उसकी इब्तिदा तो हो । सरवे तो हो ही चुका है; उसका काम कुछ शुरू हो, ताकि हम लोगों से कह सके कि प्राइम मिनिस्टर की बात मे कोई ताकत है, उसका कोई वज़न है, उसका कोई वकार है ।

मुझे एक मुख्तसर बात कहनी हैं। हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर यहां तशरीफ नहो रखते है ; उनका एक डिपार्टमेन्ट है---तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड । उसको एक करोड़ रु० मिला है । मराठी को मिला है, कन्नडी को मिला है, तेलगी को मिला है-- इन ज़ुबानों के डिपार्टमेन्ट्स ने जिनके सुपुर्द यह काम किया, बड़ा काम किया है, अच्छा काम किया है । मराठी, कन्नडी और तेलगी के लोगो से मैंने गुफ्तगू की है; उन्होंने बडा काम किया है। अगर काम नहीं हुआ है तो इस तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड में नहीं हुआ है और जो हुआ है वह ख़राब हुआ है । 150-200 रु० की एक डिक्शनरी बनी थी और जब छपी तो एक हंगामा हो गया--सारे कशमीरी ख़फ़ा हो गए, प्राइम मिनिस्टर तक बात गई । वह तो कशमीरियों ने ही पढ़ी और अगर तफसील से और दूसरे लोग भी पढ़ाते तो मालूम नहीं क्या हो जाता । 100-50 बरस पहले की डिक्शनरी वैसी की वैसी छाप दी । किताबे एम० एससी० की ट्रिग्नामेट्री के लिए बनायी जा रही हैं । कहां है वह उर्दू की युनिवर्सिटी, और कौन पढ़ेगा यह किताबें? क्यों ज़ाया हो रहा है पैसा ? छः महीने पहले बोर्ड के डायरेक्टर डा० अलीम का इन्तकाल हुआ, उनके बारे में मुझे कहना नही है । उनके ज़माने मे काम ख़राब हुआ । अब तो कोई सवाल नहीं; अब कुछ एजुकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी यह हाईली टेकनिकल इल्मी अदबी काम कर रहे है। और रहनुमाई कर रहे हैं। तो आप उसका अंजाम खुद समझ सकते है । आज नूरुल हसन साहब यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि ये किताबें किस को पढ़ाई जायेंगी ? हम तो चाहते हैं मैट्रिक का कोर्स तैयार हो जाए। हमने पहले कहा था, पहली मेडन स्पीच में---और गुजराल कमेटी के सामने भी कहा था---कि एजुकेशन को सेन्ट्रल सब्जेक्ट बनाना चाहिए। मैंने ज़रात के लिए भी कहा था । अब उसको तो माना नही गया । कम से कम हमारी हाईवेज की तरह वाटरवेज भी सैण्ट्रल सब्जेक्ट बनने चाहिए । अगर एजुकेशन सैण्ट्रल सब्जेक्ट हो जाए और हमारी इस एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत आ जाए तो मुझे यक़ीन है कि वेह डिपार्टमेन्ट चौपट हो जाएगा। यह अंदाज इस मिनिस्ट्री के काम का है। आप तो उर्दू का शेर पसन्द करते है और समझते भी हैं इस वक्त नूरुल हसन साहब की अदम मोजूदगी का अहसास हो रहा है हमसे लोग उर्दू का हाल पूछते है और जो दूसरी अंजुमने है उनका हाल तो बुरा है ही मुझे 4 साल बाद यह मालूम हुआ, और इस ऐवान मे और सेण्ट्रल हाल में बडी-बडी मजलिसो में मुझे कोई हिन्दी वाला उर्दू का दुश्मन नही मिला पार्लियामेन्ट के किसी मेम्बर ने उर्दू से दुश्मनी जाहिर नही की, और मैं बहुत खुशी और फक्र से यह बात कहता हू कि ऐसा नही हुआ। उर्दू का नुकसान 80 फीसदी खुद उर्दू वाले कर रहे हैं हमी लोग जिस तरीके से काम करते हैं, और 20 फीसदी हमारा उर्दू का डिपार्टमेन्ट है जो एजुकेशन का । हमारे आल इंडिया रेडियो की पालिसी बदल गई--उन्होंने बहुत काम किया और वहां बड़ी तब्दीली आ गई है जो कहते है करते है ठीक है ।

हिन्दुस्तान के फायदे को बात है, हमारे इल्म को बढ़ाने की बात है, जरूर कीजिए । लेकिन

हमारा उर्दू का काम जो रुका हुआ है और खराब हो रहा है वह तालीम के डिपार्टमेंट की वजह से है । हम से लोग पूछते है कि आप बताइए, आपने क्या कहा नूरुल हसन साहब को :

उर्दू का हाल क्या कहें अहले वतन से हम
तंग आ गये है सुस्तिए नूरुल हसन से हम ।

यह शेर मै शौक से नही पढ़ रहा हूं, यह मेरे दिल की आवाज है, यह वाकया है । वो तालीम के मिनिस्टर हैं, उनकी मादरी जबान उर्दू है, वोह क्या तफीम उर्दू बोलते है, लखनऊ की उर्दू, लेकिन उर्दू के गले पर किस सफाई से छुरी फेर देते है । हुआ यह कि . .'

श्रीमती सुशीला रोहतगी : माननीय सदस्य की मैं बहुत इज्जत करती हूं । अगर उन्होंने मजाक में यह बात कही तो कोई बात नहीं, लेकिन यह कहना कहा तक उचित है कि उर्दू के ऊपर छुरी चला देते हैं ।

एक माननीय सदस्य : शायर है ।

श्री सिकन्दर अली वज्द : जनाब सदर साहब मैं शायरी का कोई कन्सेशन नही मांग रहा हू । मै पेशन कानून की पाता हूं, लफ्ज का, अल्फाज का इस्तेमाल मैं जानता हूं कानून में भी, पार्लियामेंट मे भी और लिटरेचर मे भी । जो बात मै कह रहा हू दिल से कह रहा हूं । नूरुल हसन साहब से मेरी कोई दुश्मनी नही है । मैंने उनको खत लिखा एपोइन्टमेंट के सिलसिले में उर्दू के बोर्ड के डायरेक्टर के लिए और प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा । तीसरे दिन प्राइम मिनिस्टर के आफिस से जवाब आ गया । लेकिन नूरुल हसन साहब के दफ्तर से तीन महीने तक जवाब नहीं आया । हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बिजी आदमी नही हैं । वोह समझे कि यह उर्दू का मामला है, शायर साहब ने लिखा है । फिर दो-एक मर्तबा मैंने कोशिश की उनसे बात करने की वोह ये समझें इस बात की क्या अहमियत है । मैं उन लोगों में से नहीं हू जो मिनिस्टरों से बाते करते है, उनके घरों को जाते है । उनसे बड़ी दोस्ती रखते है । मेरी दोस्ती अपने इल्म से है, फन से है, सच्चाई से है और इस मुल्क से है । मै आदमी को नहीं गिनता हू । दो मर्तबा उन्होंने मेरी बात को सुना ही नही । मैंने पूछा क्या हो रहा है तो इधर-उधर देखने लगे । हम प्राइम-मिनिस्टर से कोई बात कहते हैं तो वोह रुक जाती हैं । हमारे मिनिस्टरों को थोड़ा सा अखलाक भी सीखना है अपने लीडर से । यह बात मै दिल से कह रहा हू । मिसेज रोहतगी आप बड़े शानदार खानदान की खातून हैं, आप तहजीब की मुजस्सिमा है, आपके लिए बड़ी इज्जत है मेरे दिल में, आप सोचिए इस बात को कि एक पार्लियामेंट का मेम्बर खत लिखता है, बार-बार पूछता है, लेकिन उसको जवाब देने की तकलीफ गवारा नहीं की जाती । इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान की कितनी मसरूफ खातून है, वह जवाब दे देती हैं तीसरे दिन और नूरुल हसन तीन महीने से खामोश बैठे हुए है, पता नहीं खत मिला या नही मिला । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का डिपार्टमैन्ट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में है अगर उसका ताल्लुक कर दिया जाय प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से तो फिर देखिए उर्दू कहा जाती है । महीने मे पांच मिनट भी मिल जाय तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर को प्राइम मिनिस्टर से मिलने के फिर देखिए कहा जाती है । वरना उर्दू का खुदा हाफिज है इस डिपार्टमेंट में ।

SHRI GULARBRAO PATIL (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, the year 1975-76 was a historical year in the sense that for the first time, after the attainment of independence, we had a record agricultural output to the tune of 118-119 million tonnes. For this, I must congratulate the hon. Minister, the Ministry, the farmers in this country and I must also give due credit to the rain-Gods. Because of all these, we could produce 118-119 million tonnes. I am also glad that the hon. Minister, Shri A. P. Shinde, made a categorical statement in the Lok Sabha the other day that Government will not import foodgrains. Sir, we have achieved tremendous progress as far as self-reliance in foodgrains is concerned. For the first time, India will not be going to any other country begging for food. Therefore, this particular year, 1975-76, would definitely go down in the history of this country as one of the important years. This year also, 1976-77, in spite of floods in various States, I think the pace of agricultural production would be kept up and the target of 125-130 million tonnes would be achieved by the end of this year. Efforts

[Shri Gulabrao Patil]

have been put in by the farmers and the Ministry. But I would like to point out one thing. The pricing policy of the Agricultural Prices Commission should be changed. If we are not prepared to give not only remunerative, but also incentive prices to the farmers, the agricultural production in this country would never go up. If you give them incentive prices, I am quite sure there would be more and more agricultural production in this country. There have been instances in other countries where the agricultural production went up because of such incentives. Apart from the other inputs like fertilisers, seeds and so on, price is also an important point. Therefore, I would urge the hon. Minister that while fixing the prices of agricultural commodities, the cost of production should also be taken into account. As far as industrial goods are concerned, their prices are fixed on the basis of the cost of production. In regard to the agricultural commodities also, we should adopt the same method. Most of the farmers in our country are illiterate, scattered all over the country, staying in the rural areas. The argument should not be that if incentive prices are given and if prices are fixed on the basis of the cost of production, the vulnerable sections would have to pay higher. For this, I would suggest that it shoulud be subsidised. Instead of giving subsidy to each and every section, essential commodities, particularly foodgrains, should be supplied to the vulnerable sections of the society at subsidised prices.

Sir, in spite of the efforts made by the Ministry of Irrigation and the State Governments for stepping up the irrigated area, the national average is only 24 per cent. Therefore, our country has to rely on dry farming. In this respect, the agricultural universities in this country should do their utmost to conduct research on dry farming. Unless and until we step up the Irrigated area in the country, it is not possible to increase the agricultural production in this country.

Another important point I would like to make is in regard to crop insurance. We have been talking about it for the last so many years. The crop insurance scheme was introduced on a pilot basis in Punjab or somewhere. I do not know what prevents the Government from introducing crop insurance in all parts of the country. Otherwise, who can you save the farmers? There is a saying that there is no appeal for people who are beaten by rain and beaten by God. Therefore, I would suggest that steps should be taken to introduce crop insurance. This will help the farmers who are facing many hazards.

Sir, the hon. Minister, Shri A. P. Shinde, told us in the morning that there have been no distress sales.

I must say, Sir, that all the credit must be made available to the farmers, particularly the small and marginal farmers who have otherwise to take recourse to distress sale of their agricultural produce in the *mandis* because of lack of sustenance power. It is common knowledge that wherever the farmers go to the market, the prices come down. The procurement price for wheat was fixed at Rs. 105 per quintal in spite of expert opinion. Particularly Mr. Randhawa of the Ludhiana University had made out a case that Rs. 125 should be fixed as the procurement price for wheat but that was not accepted. All the Vice-Chancellors of the agricultural universities, experts and progressive farmers should sit together and arrive at a reasonable procurement price for wheat and some other commodities. Distress sales take place because otherwise the farmer cannot go on sustaining his entire family. During these particular periods these things always happen. The fact that there are certain places where there are *mandis* which cannot be reached even by the Food Corporation of India should also be taken into consideration.

There is another important point which I would urge on the hon. Minister to take into consideration. There is no doubt that after nationalisation of the fourteen major banks the banking system in this country has entered a new era. Many small and marginal farmers, artisans and poor people in both the rural and urban areas were

hopeful of getting their due share for their productive and other purposes. But to our utter dismay we find that here are many difficulties. I think the time has come to issue fresh guidelines to all the nationalised banks. Whatever may be the outcome and recommendations of the Manubhai Shah Commission, we should not wait for them. I have got many instances where many times poor people are not able to get the required financial assistance from the nationalised banks. I would cite one such instance.

In my district, near Sangli there is a village called Kaulapur where there is a branch of the State Bank of India. There is a troupe of traditional folk dramatists run by Kalu and Balu and they stage folk dramas by going from village to village and also during festivals. Now they entered into an agreement for staging 200 shows at the rate of Rs. 1,500 per show. As they have to go from village to village they wanted to purchase a bus chassis, build the body and run a bus to carry their troupe. In spite of their efforts and in spite of my own efforts, the bank's officers told them, "Unless you bring Rs. 25,000 first, we cannot give you Rs. 75,000". Sir, Kalu and Balu belong to the Scheduled Caste community and for years together they were entertaining the community and getting money. When rich people and many other people could get money from the banks I do not know why talented people who have some standing do not get money from the banks. Why their talent and standing are not taken as security I do not know. Therefore, I want to point out to the hon. Minister that these nationalised banks are refusing to advance money to such people. Where from can these people raise money to purchase a bus? Now they had to hire a bus and pay exorbitant charges for that. And the owner of the bus is now in a position to purchase another bus out of the hire charges! Therefore, I would urge upon the hon. Minister kindly to see that such things do not happen. They may say that you should bring 1/4th of the money when they will provide the remaining 3/4ths, but something should be done about such cases.

Another important point I would like to bring to the notice of the hon. Minister is that the burden on our land, in spite of all our efforts to industrialise this country, either in urban areas or in rural areas, is not being reduced. Seventy per cent of our population is solely dependent on agriculture and agriculture is the mainstay of our entire population. Therefore, a new policy has to be adopted. We all say that industries should be established in the rural areas. But while establishing industries in rural areas, the infra-structure is not available and, therefeore, most of these industrialists and entrepreneurs are not willing to go there.

Here I would like to say that as far as establishment of industries in rural areas is concerned, the norm that has been accepted in the Industrial Policy Resolution needs some change. For the purpose of adjudging whether a particular area is backward or not, district has been regarded as a unit but there are very many tehsils and block areas even in advanced districts which are very backward. Take, for instance, the entire drought-prone areas in Maharashtra where not a single industry can be set up because of the various Government projects. They have constructed so many irrigation tanks and other things. Entire complex of the area is changed and if we cannot establish industries in such areas it is because the district as a whole is not backward. So, I would urge upon the hon. Minister to see that this criterion of establishment of industries in backward areas is changed and even tehsils or block areas should be taken as individual units for this purpose. I am talking of the drought-prone areas in particular. I am talking of my district, I am also talking of the Satara district. There are so many districts where the Government have constructed so many irrigation tanks, percolation tanks. There were some areas where not a blade of grass could be grown but now 10,000 acres of land is under irrigation. There is a tremendous change. A revolution is taking place. They are even asking for sugar factory licences If these

[Shri Gulabrao Patil]

areas are not given priority, I do not know why and how these areas are going to be developed.

Coming to another thing, as far as implementation of the 20-point economic programme is concerned, there is no doubt that small persons, poor persons are very much enlightened. Because of the liquidation of loans and all other measures that we have taken there is a new awareness, new sense of awareness but when we have liquidated the debts we have not at all made alternative arrangement for giving consumption loans, for other purposes. Here I can cite an example from Maharashtra. As a person working in the co-operative movement for the last 25 years, at the State or District level we have tried our level best to invest our own funds. But in spite of our best efforts, funds are not sufficient enough to meet the demands of these people We urged the Reserve Bank that whatever money was being advanced for such purposes should be reimbursed from the Reserve Bank but the Reserve Bank has said 'no' to us and if the Reserve Bank is not reimbursing, the Government of India also is not making available some funds, how these people could be helped, how they are going to meet their consumption needs. The Shivaraman Committee's report has been accepted. The Government is taking some steps. But merely making of some statements will be of no use. All the usury practices are still going on in villages and they are again likely to be exploited by big money-lenders and big sharks in the villages.

The last point that I would like to submit is regarding the procurement price and the issue price.

Sir, in the case of foodgrains, we see a difference of 20 to 25 per cent in the procurement price and the issue price; at times, the difference perhaps is even 30 per cent. I do not know why it should be so much. The foodgrains are meant for the consumers whom we call vulnerable. If the gap between the issue price and the procurement price is so much, how is it possible for the poor people and the vulnerable sections of the society to afford to purchase the foodgrains at such high prices? Therefore, this gap should be reduced. How much it can be reduced is a thing which has to be seen because, as you know, Sir, the trading community is carrying out a propaganda that had there been no zonal system, they could have made available the foodgrains even at 80 paise per kg. To some extent, this may be true, but there is an exploitation. Whenever the foodgrains are in short supply, they raise the prices. Here, I would urge upon the honourable Minister to reduce the gap between the procurement price and the issue price because all these overhead charges are on the heads of the consumers, particularly the poor people. Otherwise, there could be a double system of ration cards for the poor, the middle class and some other people.

Lastly, Sir, I would make one point. As regards the supply of edible oils to Maharashtra, this is common knowledge that every year in the month of Shravana, August or September, there is short supply of groundnut oil and edible oils. As the honourable Minister knows, there are so many festivals taking place during these months. Why does the Government not take any action to see that during these two months the prices of groundnut oil or edible oil will not rise? Sir, because of the mergency and te other steps taken by the Government, ours is the only country in the world which has checked inflation to such an extent that we are being praised even by so many foreign countries. Even a Minister of a country like England has said openly that while they were not able to check inflation, India had achieved tremendous success in checking inflation. It is true. But, at the same time, we should not be complacent because there is a bumper crop. There is no fixed policy regarding export of kernels and also export

of groundnuts. Therefore, whenever they are in short supply, these merchants and traders hoard these things, even in Bombay and some other big cities. I do not know whether the Government officials know these things. But these must have been hoarded somewhere. Therefore, I would urge upon the Government to see that these things should not be repeated, because from Rs. 4.50 the prices have gone up to Rs. 7.50 or even Rs. 8; and in rural areas the people are complaining that they are not getting even half a kilogram of oil. Therefore, I would urge upon the honourable Minister to see that the needs and demands of Maharashtra—not only of Bombay and other cities—are adequately met by making adequate supplies from other areas.

Thank you.

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT BUSINESS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 25th August, 1976, allotted time as follows for Government Legislative Business to be taken up during the current session of the Rajya Sabha :—

Business	Time Allotted
1. Consideration and return of the following Bills, as passed by the Lok Sabha:—	
(a) The Appropriation (No. 6) Bill, 1976 . . .	1 hour
(b) The Dhoties (Additional Excise Duty) Repeal Bill, 1976	1 hour
(c) The Delhi Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1976 . .	1 hour
(d) The Central Sales Tax (Amendment) Bill, 1976 .	2 hours
2. Consideration and passing of the following Bills, as passed by the Lok Sabha:—	
(a) The Companies (Amendment) Bill, 1976 . .	2 hours
(b) The Constitution (Forty-third Amendment) Bill, 1976	1 hour
(c) The Fifth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill, 1976 . . .	1 hour
(d) The Kerala State Legislative Assembly (Extension of Duration) Second Amendment Bill, 1976 .	1 hour
(e) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1976 .	3 hours
3. Consideration and passing of the following Bills:—	
(a) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1976 . . .	1 hour
(b) The Insecticides (Amendment) Bill, 1976 . .	1 hour

The House stands adjourned till 2 P.M. today.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman**, in the Chair.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. The Delhi Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1976.

II. The Antiquities and Art Treasures (Amendment) Bill, 1976

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by by the Secretary-General of the Lok Sabha :

I

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I